File No. PWD2-CW/R/62/2022-III-2-Public Works Department-Part(3) (Computer No. 39751)
I/106929/2023

I/106929/2023

21/3/23

MD 24/03/23

ई फाईल संख्या39751-

1167

प्रेषक,

श्याम सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

(856) SSO-III (P)

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

CE (P) 21.3.2023 प्रमुख अभियन्ता लो0नि0वि0

मुख्य अभियन्ता (नियोजन) लोक निर्माण विभाग, देहरादून

लोक निर्माण अनुभाग2- देहरादूनः दिनांक 17 मार्च,2023

विषयः वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोडा के विधानसभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत विभिन्न 02 निर्माण कार्यों (प्रथम चरण) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

(856) SSO(P)

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., अल्मोडा द्वारा संलग्न विषयगत कार्यों हेतु उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के आगणनों, जिनके अंतर्गत सडक मार्गो की कुल लम्बाई **8.50 k.m एवं लागत ₹ 70.80 लाख है,** पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि **₹ 9.60 लाख (₹ नौ लाख साठ हजार मात्र)**की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु **प्रति कार्य ₹ 010. लाख (₹ दस हजार मात्र) की दर से 02कार्यो हेतु 20.0 ₹ लाख (₹बीस हजार मात्र)**की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

Chief Engineer (Planning) P.W.D., Dehradun

i. उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश संख्या1764-/III(2)/10-17(सामान्य) /2008, दिनांक 17 जून,2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिर्पोट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिर्पोट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-383/III(1)/19-190(पी.डब्लू.डी)/2001 टी.सी।। दिनांक 05.02.2020का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

AO(P-I) 24/03/23

ii. आगणन में उल्लिखित दरों का विशलेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत /अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

इं0 जीवन सिंह ह्यांकी वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी

iii. कार्य पर उतना ही व्यय हो जितना की स्वीकृत नार्म है , स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि से बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैंयार करते समय किया जायेगा।

iv. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

25/03/23

v. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है , व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

vi. स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका में सुसंगत नियमों , बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2017-एवं उक्त के विषय में समय -समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।

vii. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 2047-/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

viii. उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन.पी.वी] भूमि अधिग्रहण] यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथाश्यक व्यय अनुदान संख्या-22 के सुसंगत लेखाशीर्षक/मानक मदों/उपमदों में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित तथा निवर्तन पर रखी धनराशि से किया जायेगा।

ix. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्वता का सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

x. वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31.03.2022 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

xi. यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

xii. उक्त कार्य हेतु लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1403-/III(2)/21-08(सामान्य)/2020 दिनांक 25.05.2021द्वारा जारी RFQ एवं TOR का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय -व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं 0-22, लेखाषीर्षक5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय04- जिला तथा अन्य सड़कें337- सड़क निर्माण कार्य03- राज्य सेक्टर0302- नया निर्माण कार्य53- वृहद निर्माण (5054-04-800-03-02) के नामें डाला जायेगा ।

3- ये आदेश वित्त अनुभाग 2- के कम्प्यूटर जनित संख्या- I/106726 /2023 दिनांक 16 मार्च ,2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by Shyam Singh
Date: 16-03-2023 18:20:58

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा .मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव,लो.नि.वि. उत्तराखण्ड शासन को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. आयुक्त, कुमांउ मण्डल, नैनीताल।
5. जिलाधिकारी, अल्मोडा ।
6. मुख्य अभियन्ता, क्षे0कार्या0, लो.नि.वि., अल्मोडा ।
7. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग2-, उत्तराखण्ड शासन।
10. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो.नि.वि., अल्मोडा ।
11. अधिशासी अभियन्ता, प्रा0खण्ड, लो .नि .वि., रानीखेत।
12. गार्ड फाईल।

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

E- FILE No- 39751 का संलग्नक

धनराशि लाख रू. में

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी0 में)	लागत (लाख रू0 में)	चालू वित्तीय वर्ष मे अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र रानीखेत के भिकियासैण बासोट घटटी सौरे मोटर मार्ग का एल0वी0आर0 से मोटर मार्ग में परिवर्तन (प्रथम चरण कार्य)	3.50	2.10	0.10
2	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र रानीखेत के विकासखण्ड ताडीखेत में बिल्लेख बंगले से दयालेख, चौरा एवं विरमाईजर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। (प्रथम चरण कार्य)	5.00	7.50	0.10
	योगः–	**8.50**	**9.60**	0.20

(कुल रू. **बीस** हजार मात्र)

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2022 - 2023)

Secretary-Secretary, PWD(S038)

HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -I/106929/2023
अनुदान संख्या -022

आवंटन आई डी-S23030220062
आवंटन पत्र दिनांक-20-MAR-2023

लेखा शीर्षक	5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	04-जिला तथा अन्य सड़के
	337-सडक निर्माण कार्य	03-राज्य सेक्टर
	02-नया निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02से स्थानान्तरित)	Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण	4280000	20000	0	4300000
योग	4280000	20000	0	4300000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.20,000 (Rupees Twenty Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"नियोजन–।" उत्तराखण्ड देहरादून
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
Web-http://govt.ua.nic.in/pwd E-mail: eicpwduk@nic.in

पत्रांक– 341 /20 याता0'क'नियो0–1/2023 दिनांक– 25 .03.2023

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
2. अधीक्षण अभियन्ता प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
3. अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष